न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी-अलवर
(पीठासीन अधिकारी -मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:- 03/38/2022 दर्ज तिथि:-22.07.2022

1. पप्पूराम उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी मैजोड तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता:- श्री नरेश कुमार शर्मा।
अप्रार्थी अधिवक्ता:- मोठूराम मीना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128
राजस्थान भू-राजस्व अधि-1956

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-19.01.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधि-1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा नम्बर 1094/0.72 है0 वाके ग्राम मैजोड तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की

Manisha
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

कब्जेकाश्त खातेदारी की सालिम आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार थानागाजी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 27.05.2022 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी को पत्र क्रमांक कोर्ट / 2023 / 1250 दिनांक 28.03.2023 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवार हल्का गुढा चुरानी ने दिनांक 12.04.2023 को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में अवगत कराया कि पत्थरगढी हेतु आवेदित खसरों की सीमाओं को लेकर समीपवर्ती काश्तकारों दयाचन्द, नानगा, पेमाराम पुत्रान जैलाराम जाति मीना से विवाद है। मुताबिक रिपोर्ट समीपवर्ती काश्तकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। समीपवर्ती काश्तकारों की ओर अधिवक्ता श्री मोटूराम मीना ने उपस्थित न्यायालय हाजा होकर जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी की सालिम आराजी न होकर संयुक्त परिवार की अविभाजित आराजी हैं। अतः प्रार्थना—पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। दिनांक 26.06.2023 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने संशोधित जबाव दावा पेश करने हेतु प्रार्थना—पत्र आदेश—06 नियम—7 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश किया जो दिनांक 26.06.2023 को स्वीकार किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से दिनांक 03.07.2023 को संशोधित जबाव दावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी खसरा संख्या 1094 / 0.72 है0 वाके ग्राम मैजोड जमाबन्दी संवत 2014 पडत पटवार में पूर्ण रूप से वर्णित है कि उक्त आराजी अप्रार्थीगण के दादा छोटा पुत्र लल्लू के नाम दर्ज चली आती है। वर्तमान में उक्त आराजी पर दयाचन्द, नानगराम, बाबूलाल व पेमाराम पुत्रान जैला का मौके पर कब्जा काश्त चला आता है। अन्त में प्रार्थना—पत्र प्रार्थी खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

4. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 27.05.2022 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जबाव दावा व संशोधित जबाव दावा के बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

6. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

> ***Provided that** applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

7. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—76 वाकै ग्राम मुण्डियावास में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार थानागाजी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम मैजोड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 27.05.2022 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार थानागाजी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा संख्या 1147 किस्म गैर मुमकिन चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानकर आराजी खसरा नम्बर 1094 के चारों कोने कायम कर सीमाज्ञान ग्रामीणों के समक्ष करवाकर आवेदक को संतुष्ट किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थी के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थी की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि वो रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 27.05.2022 के आधार पर हाल आराजी खसरा नम्बर 1094/0.72 है0 वाके ग्राम मैजोड तहसील थानागाजी जिला अलवर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी की जावें एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी से लगती हुई आराजी के पड़ोसी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए विधिक उपबंधानुसार, अगर दीगर व्यक्ति का उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा हो तो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी दीगर व्यक्ति को कब्जे से बेदखल नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

Manisha

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 19.01.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(मनीषा कुमारी, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)